International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका: भारत के संदर्भ में एक अध्ययन

दिनेश कुमार

पी.एच.डी. शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5

सारांश:

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना संसद के कार्यों को अधिक प्रभावी, विश्लेषणात्मक और पारदर्शी बनाती है। ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करती हैं और विधेयकों, नीतियों तथा बजटीय प्रावधानों का विस्तृत परीक्षण कर संसद के निर्णय-निर्माण को अधिक सक्षम बनाती हैं। इस शोध में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की संरचना, कार्यप्रणाली, शक्तियों और योगदान का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये समितियाँ विधेयकों की सूक्ष्म जाँच, बजट अनुदानों की समीक्षा तथा नीतिगत प्रभावों के मूल्यांकन के माध्यम से लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती हैं। साथ ही शोध यह भी दर्शाता है कि सीमित संसाधन, अनुशंसाओं के अनुपालन में कमी, समयाभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियाँ इनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। यदि इन समितियों को अधिक स्वायत्तता, विशेषज्ञ सहयोग और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्रदान की जाए, तो वे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत आधार प्रदान कर सकती हैं।

मुख्य शब्द: विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ,भारतीय संसदीय लोकतंत्र, विधायी दक्षता, संसदीय निगरानी, विधेयक समीक्षा, बजट परीक्षण, सार्वजनिक नीति मूल्यांकन,पारदर्शिता

1. परिचय

भारतीय संसदीय लोकतंत्र केवल सदन में होने वाली बहसों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समितियों के माध्यम से भी अपने काम को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित रूप से पूरा करता है।[1] लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शासन की प्रक्रियाएँ कितनी पारदर्शी, उत्तरदायी और संस्थागत रूप से संतुलित हैं।[2] ऐसे में संसद की समितियाँ, विशेषकर विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ, भारतीय

[1] कुमार, शान्ता (भूतपूर्व सांसद, लोक सभा एवं राज्य सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 6 अप्रैल 2025.

[2] शांडिल, धनी राम (भूतपूर्व सांसद लोक सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 30 मई 2025.

लोकतंत्र को सक्रिय, विश्लेषणात्मक और उत्तरदायी बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इन समितियों के माध्यम से भारतीय संसद न केवल विधायी कार्य को अधिक वैज्ञानिक बनाती है, बल्कि कार्यपालिका की नीतियों और योजनाओं पर निरंतर निगरानी रखते हुए शासन को संतुलित दिशा प्रदान करती है।[3]

विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना 1993 में इस उद्देश्य से की गई थी कि संसद के कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ सके तथा प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की कार्यप्रणाली का विस्तृत परीक्षण संभव हो सके। इन समितियों के गठन का आधार यह था कि लोकसभा और राज्यसभा के सीमित समय में सभी विधेयकों, बजट प्रस्तावों और नीतिगत मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा संभव नहीं है। अतः एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो प्रशासनिक कार्यों की समग्र समीक्षा करे, विधेयकों का विशेषज्ञतापूर्ण परीक्षण करे और संसदीय निर्णय-निर्माण को तथ्य-आधारित बनाए। स्थायी समितियाँ इस भूमिका को निभाते हुए संसद के कार्यों को अधिक तकनीकी, विशेषज्ञतापूर्ण और निष्पक्ष बनाती हैं।[4]

भारतीय संसदीय व्यवस्था में इन समितियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं, जहाँ सदस्य दलगत सीमाओं से परे जाकर विषय के सार्थक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समिति की बैठकों की गोपनीय प्रकृति और विशेषज्ञों, मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ सीधे संवाद की सुविधा इन्हें गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करती है। आमतौर पर देखा गया है कि समिति की रिपोर्टें सदन में होने वाली बहसों की तुलना में अधिक तथ्यात्मक, संतुलित और विश्लेषणात्मक होती हैं, जिसके कारण वे नीति निर्माण प्रक्रिया के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होती हैं। यह समितियाँ विधेयकों और बजट प्रस्तावों का परीक्षण कर संसद के निर्णयों को अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाती हैं।[5]

यद्यपि विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी उनकी प्रभावशीलता विभिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सीमाओं से प्रभावित होती है। समितियाँ सिफारिशों के अनुपालन में कमी, विशेषज्ञों की अपर्याप्त उपलब्धता, अनुसंधान संसाधनों का अभाव तथा समय-सीमा की कठोरता जैसी समस्याएँ इनके कार्यों को सीमित करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास समिति की अनुशंसाओं को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने का दायित्व न होने के कारण कई महत्वपूर्ण सुझाव लागू नहीं हो पाते। इन सीमाओं के बावजूद, समिति प्रणाली का अस्तित्व लोकतांत्रिक शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में जहाँ प्रशासनिक चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, इन समितियों का योगदान और भी मूल्यवान हो जाता है।[6]

यह शोध-पत्र विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की संरचना, कार्यप्रणाली, शक्तियों और सीमाओं का विश्लेषण करते हुए उनके लोकतांत्रिक महत्व को रेखांकित करता है। अध्ययन न केवल यह समझने का प्रयास करता है कि ये समितियाँ भारतीय लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाती हैं, बल्कि यह भी कि इनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कौन-से सुधार

[3] सिंह, महेश्वर (भूतपूर्व सांसद, लोक सभा एवं राज्य सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 22 अप्रैल 2025.

[4] कश्यप, सुभाष सी. ए न्यू पार्लियामेंट्री इनीशिएटिव सब्जेक्ट बेस्ड स्टैंडिंग समिति ऑफ़ पार्लियामेंट इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली वॉल्यूम 25, संख्या 40, 1990, पृष्ठ 2273–79. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/4396842. (6 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

[5] कुमार, शान्ता (भूतपूर्व सांसद, लोक सभा एवं राज्य सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 6 अप्रैल 2025.

[6] हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद. व्यक्तिगत साक्षात्कार. साक्षात्कारकर्ता: शोधार्थी, अप्रैल– अक्टूबर 2025.

आवश्यक हैं। यदि इन समितियों को अधिक स्वायत्तता, विशेषज्ञ सहयोग, शोध संसाधन और संस्थागत समर्थन प्राप्त हो, तो वे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्माण और शासन सुधार के लिए और भी अधिक प्रभावी साधन बन सकती हैं। अतः यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका को व्यापक दृष्टिकोण से समझते हुए यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है कि इन समितियों की कार्यकुशलता को सुदृढ़ करना लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति निर्माण, संसदीय निगरानी और संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में इन समितियों का योगदान भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और सक्षम बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है।[7]

2. शोध पद्धति

वर्तमान अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का सम्यक् उपयोग किया गया है। यह अध्ययन अनुभवात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका को व्यवस्थित रूप से समझने का उद्देश्य रखता है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों से लिए गए साक्षात्कार शामिल हैं, जिनसे विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की प्रासंगिकता, कार्य-प्रणाली और उनके वास्तविक योगदान के संबंध में अनुभवजन्य जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की मूल रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों पुस्तकों, शोध-पत्रों और प्रामाणिक ऑनलाइन स्रोतों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के विश्लेषण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ किस प्रकार विधायी कार्य, बजटीय समीक्षा, नीति गत अनुश्रवण और लोकतांत्रिक शासन के सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाती हैं। अतः अध्ययन में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों को समाहित किया गया है ताकि भारतीय संदर्भ में इन समितियों की वास्तविक भूमिका का व्यापक और तथ्य आधारित मूल्यांकन किया जा सके।

3. शोध के उद्देश्य

1. भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की संरचना, गठन और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
2. यह समझना कि विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान देती हैं।
3. भारत में स्थायी समितियों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों जैसे संसदीय संसाधन, विशेषज्ञता, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक समर्थन का अध्ययन करना।
4. संसदीय शासन में स्थायी समितियों की उपलब्धियों और सीमाओं का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक परीक्षण करना।

[7] वही

5. भारतीय संदर्भ में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त नीतिगत एवं संरचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध पत्र का परिसीमन

यह अध्ययन केवल भारतीय संसद की विभागीय संबंधित स्थायी समितियों तक सीमित है और अन्य संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या विशेष उद्देश्य समितियों और सयुंक्त ससदीय समितियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शोध में मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर कार्यरत विभागीय स्थायी समितियों की भूमिका, संरचना, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है; राज्य विधानमंडलों की समितियों को अध्ययन के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र सीमित है, जिसमें प्राथमिक डेटा संग्रह हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों से प्राप्त साक्षात्कारों तक केंद्रित है, तथा अन्य राज्यों के सांसदों को शामिल नहीं किया गया है। अध्ययन में नीतिगत प्रभावों, प्रशासनिक दक्षता तथा विधायी प्रक्रिया पर समितियों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है, किंतु राजनीतिक दलों की आंतरिक रणनीतियों या संसदीय दलगत राजनीति के विस्तृत अध्ययन को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार शोध अपने निर्धारित परिप्रेक्ष्य में कार्य-सीमाओं को स्पष्ट रखते हुए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की वास्तविक भूमिका को समझने पर केंद्रित है।

5. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की संरचना

विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की संरचना भारतीय संसदीय प्रणाली में विशेषज्ञता-आधारित निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित की गई। वर्ष 1993 में 17 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया गया, 2004 में ऐसी 7 समितियों का गठन हुआ इस प्रकार इन समितियां की संख्या बढ़कर 24 हो गई। इसमें 16 लोकसभा के अंतर्गत और 8 राज्यसभा के अन्तर्गत आती प्रत्येक समिति को 1 से 3 मंत्रालयों या विभागों का विषयगत दायित्व सौंपा गया है, जिससे वे किसी विशिष्ट नीति-क्षेत्र पर गहन अध्ययन कर सकें। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से नामित किए जाते हैं।[8] सभी सदस्यों का चयन लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है और यह चयन दलगत अनुपात के सिद्धांत पर आधारित होता है, ताकि राजनीतिक दलों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। समिति अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा की जाती है और सामान्यतः यह पद सत्तारूढ़ दल को प्राप्त होता है । हालाँकि कुछ महत्वपूर्ण समितियों, जैसे लोक लेखा समिति में अध्यक्ष विपक्ष से भी चुना जाता है, जिससे निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे। समिति सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष का होता है। विषयगत आवंटन में गृह, वित्त, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण जैसे मंत्रालय

[8] रुबिनॉफ़, आर्थर जी. इंडियाज न्यू सब्जेक्ट बेस्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. एशियन सर्वे, खंड 36, अंक 7, 1996, पृष्ठ 723–38. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2645719. (10 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

शामिल हैं, ताकि नीतिगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता को मजबूत किया जा सके। समितियों को संसदीय सचिवालय द्वारा अनुसंधान, तथ्य-सत्यापन और दस्तावेजी सहायता प्रदान की जाती है और वे जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श भी ले सकते हैं। बैठकें अधिकांशतः बंद-द्वार होती हैं, जिससे सदस्यों को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर तर्कसंगत और गहन विमर्श करने का अवसर मिलता है और बैठकों की आधिकारिक रिपोर्ट और अभिलेखन प्राथमिकता के साथ व्यवस्थित किया जाता है।[9]

6. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों के कार्य

विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ भारतीय संसद की विधायी, वित्तीय तथा निगरानी-संबंधी क्षमता को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।[10] इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद में प्रस्तुत नीतियाँ, कार्यक्रम और विधेयक केवल औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा न रहें, बल्कि उनका गहन अध्ययन हो तथा वे जन-हित के अनुरूप निर्मित किए जाएँ। इनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसद के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों की विस्तृत जाँच करना है, जिसके अंतर्गत समितियाँ किसी भी विधेयक के उद्देश्य, संभावित प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक परिणाम तथा तकनीकी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करती हैं। यदि आवश्यकता महसूस होती है, तो समितियाँ संशोधन या सुधार के सुझाव भी प्रस्तुत करती हैं। भारत में कई प्रमुख विधायी सुधार जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून इन्हीं समितियों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के पश्चात् ही संसद में पारित हो सके हैं। इसी प्रकार, बजट सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान-मांगें इन समितियों को भेजी जाती हैं, ताकि वे वार्षिक बजटीय प्रावधानों, व्यय पैटर्न, विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा वित्तीय दक्षता का विश्लेषण कर सकें। समिति की इस प्रक्रिया से सरकार को वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग तथा योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।[11]

समितियों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालयों और विभागों की कार्यप्रणाली पर संसदीय निगरानी को मजबूत करना है। इसके अन्तर्गत वे मंत्रालयों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों, कार्यक्रमों की प्रगति, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक दक्षता का परीक्षण करती हैं। समिति की रिपोर्टों में प्रस्तुत की गई टिप्पणियाँ और सुझाव अक्सर कार्यपालिका को नीति-क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु प्रेरित करते हैं, जिससे प्रशासन अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनता है। नीतिगत सुधारों के संदर्भ में भी समितियाँ व्यापक भूमिका निभाती हैं। ये नीतियों के परिणामों, उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा आवश्यक संशोधनों की पहचान कर सरकार को ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि समिति की इन सिफारिशों का पालन बाध्यकारी नहीं होता है, फिर भी सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने और नीतिगत प्रक्रियाओं को अधिक तर्कसंगत दिशा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।[12]

[9] https://sansad.in/ls/committee/departmentally-related-standing-committees (8 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

[10] कुमार, चंद्र (भूतपूर्व सांसद लोक सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 19 मई 2025.

[11] हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद. व्यक्तिगत साक्षात्कार. साक्षात्कारकर्ता: शोधार्थी, अप्रैल– अक्टूबर 2025.

[12] सिंह, प्रतिभा (भूतपूर्व सांसद लोक सभा). व्यक्तिगत साक्षात्कार. 10 मई 2025.

इसके अतिरिक्त, विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वतंत्र अध्ययन भी करती हैं, जिनमें पर्यावरण गुणवत्ता, कृषि संकट, महिला सुरक्षा, डिजिटल शासन प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये विषय-आधारित अध्ययन न केवल नीति-निर्माण के लिए साक्ष्य-आधारित आधार प्रदान करते हैं, बल्कि जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। इस प्रकार, इन समितियों की कार्यप्रणाली भारतीय लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करती है, संसद की जवाबदेही को बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ जन-हित, पारदर्शिता तथा दक्षता के मानकों पर खरी उतरें।[13]

7. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की महत्वपूर्ण रिपोर्टें

विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की महत्वपूर्ण रिपोर्टें नीतियों के वैज्ञानिक मूल्यांकन, विधायी गुणवत्ता सुधार और कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में अत्यंत प्रासंगिक हैं। ये रिपोर्टें शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णय-प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

7.1 कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति ने 1993 से अब तक संसद में 370 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। अब तक प्रस्तुत रिपोर्टों का लोक सभा वार विवरण तालिका 1.1 में इस प्रकार है:

लोक सभा	कार्यकाल	डी.एफ.जी. (डिमांड्स फॉर ग्रांट्स)	विषयक रिपोर्टें	विधेयक	ए.टी.आर. (एक्शन टेकन रिपोर्ट)
दसवीं लोक सभा	1993–1996	11	09	02	16
ग्यारहवीं लोक सभा	1996–1998	10	-	01	06
बारहवीं लोक सभा	1998–1999	10	01	-	11
तेरहवीं लोक सभा	1999–2004	20	02	02	26
चौदहवीं लोक सभा	2004–2009	20	02	05	20

[13] हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद. व्यक्तिगत साक्षात्कार. साक्षात्कारकर्ता: शोधार्थी, अप्रैल– अक्टूबर 2025.

पंद्रहवीं लोक सभा	2009–2014	20	09	05	27
सोलहवीं लोक सभा	2014–2019	20	11	01	33
सत्रहवीं लोक सभा	2019–2024	27	08	03	32
कुल	—	138	42	19	171
ग्रैंड टोटल	—	370			

स्रोत: Digital Sansad (14 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

उपलब्ध तालिका भारतीय संसद की विभिन्न लोक सभाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के मात्रात्मक स्वरूप को दर्शाती है, जो संसदीय समितियों की कार्यगत सक्रियता और उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण संकेतक है। दसवीं से सत्रहवीं लोक सभा तक प्रस्तुत रिपोर्टों का तुलनात्मक अवलोकन यह दर्शाता है कि समय के साथ समिति-कार्य का विस्तार निरंतर बढ़ा है। विशेष रूप से डी.एफ.जी. (मांगों का विस्तृत विवरण) से संबंधित रिपोर्टों की संख्या सत्रहवीं लोक सभा में 27 तक पहुँचती है, जो समिति-प्रक्रिया की तीव्रता को रेखांकित करती है। विषयक रिपोर्टों के संदर्भ में भी वृद्धि का रुझान स्पष्ट है; सोलहवीं लोक सभा में 11 विषयक रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं, जो अध्ययन और विश्लेषण के गहन प्रयासों की ओर संकेत करती हैं। विधेयकों पर प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित रहने पर भी यह प्रक्रिया विधायी गुणवत्ता के परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ए.टी.आर. (कार्यवाही प्रतिवेदन) की संख्या भी इस तथ्य को दर्शाती है कि समितियाँ न केवल सुझाव देती हैं, बल्कि उनके अनुपालन की निगरानी भी करती हैं। कुल मिलाकर 370 रिपोर्टों का प्रस्तुत होना इस बात का प्रमाण है कि संसदीय समिति-प्रणाली ने भारतीय लोकतांत्रिक शासन में विश्लेषण, उत्तरदायित्व और नीति-परीक्षण को सुदृढ़ बनाने में निरंतर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

7.2 रक्षा समिति

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें अब तक रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने संसद में 207 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। लोक सभा वार विवरण तालिका 1.2 में इस प्रकार है:

लोक सभा	कार्यकाल	डी.एफ.जी.	सब्जेक्ट्स	बिल्स	ए.टी.आर.
दसवीं लोक सभा	1991–1996	3	2	-	3

ग्यारहवीं लोक सभा	1996–1998	2	-	1	2
बारहवीं लोक सभा	1998–1999	2	4	-	2
तेरहवीं लोक सभा	1999–2004	4	4	1	12
चौदहवीं लोक सभा	2004–2009	5	14	2	15
पंद्रहवीं लोक सभा	2009–2014	5	4	1	12
सोलहवीं लोक सभा	2014–2019	20	5	-	25
सत्रहवीं लोक सभा	2019–2024	20	3	1	23
अठारहवीं लोक सभा	2024–2025 (मानसून सत्र के अंत तक)	8	-	-	6
टोटल		69	36	6	100
ग्रांड टोटल	**211**				

स्रोत: Digital Sansad (15 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

यह तालिका रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा विभिन्न लोक सभाओं में प्रस्तुत प्रतिवेदनों का सार प्रस्तुत करती है। दसवीं लोक सभा से अठारहवीं लोक सभा तक समिति ने डी.एफ.जी., विषयगत प्रतिवेदन, विधेयक तथा एटीआर के माध्यम से लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। समय के साथ प्रतिवेदनों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि समिति ने संसद की निगरानी, मूल्यांकन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में प्रभावी योगदान दिया है। कुल मिलाकर समिति ने अब तक 69 डीएफजी, 36 विषयगत प्रतिवेदन, 6 विधेयक और 100 एटीआर सहित 211 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो संसदीय कार्यप्रणाली में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

7.3 ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने 292 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। अब तक प्रस्तुत रिपोर्टों का लोक सभा वार विवरण तालिका 1.3 में इस प्रकार है:

लोकसभा	**कार्यकाल**	**डी.एफ.जी.**	**सब्जेक्ट्स**	**बिल्स**	**ए.टी.आर.**	**कुल**
दसवीं लोक सभा	1991–1996	10	12	2	14	**38**
ग्यारहवीं लोक सभा	1996–1998	8	1	1	9	**19**
बारहवीं लोक सभा	1998–1999	8	2	0	9	**19**

तेरहवीं लोक सभा	1999–2004	15	4	4	24	**47**
चौदहवीं लोक सभा	2004–2009	10	5	2	14	**31**
पंद्रहवीं लोक सभा	2009–2014	10	12	0	22	**44**
सोलहवीं लोक सभा	2014–2019	10	13	1	19	**43**
सत्रहवीं लोक सभा	2019–2024	8	10	0	23	**41**
अठारहवीं लोक सभा	2024–2029	4	1	0	5	**10**
कुल योग		**85**	**58**	**10**	**139**	**292**

स्रोत: Digital Sansad (16 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

उपरोक्त तालिका ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति द्वारा विभिन्न लोक सभाओं में प्रस्तुत प्रतिवेदनों का सार प्रस्तुत करती है। दसवीं से अठारहवीं लोक सभा तक समिति ने डीएफजी, विषयगत प्रतिवेदन, विधेयक और एटीआर के रूप में निरंतर कार्य किया है। समय के साथ प्रतिवेदनों की संख्या में वृद्धि समिति की सक्रियता और संसदीय कार्यप्रणाली में उसके बढ़ते योगदान को दर्शाती है। कुल मिलाकर समिति ने 85 डीएफजी, 58 विषयगत प्रतिवेदन, 10 विधेयक प्रतिवेदन और 139 एटीआर, अर्थात 292 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह आँकड़े ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नीतिगत समीक्षा और संसदीय निगरानी में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

7.4 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति में 362 रिपोर्ट पेश की हैं। लोक सभा वार विवरण तालिका 1.4 में इस प्रकार है:

लोकसभा	**कार्यकाल**	**डी.एफ.जी.**	**सब्जेक्ट्स**	**बिल्स**	**ए.टी.आर.**	**कुल**
दसवीं लोकसभा	1991–1996	6	7	4	12	**29**
ग्यारहवीं लोकसभा	1996–1998	6	3	1	5	**15**
बारहवीं लोकसभा	1998–1999	6	5	0	4	**15**
तेरहवीं लोकसभा	1999–2004	15	16	2	32	**65**

चौदहवीं लोकसभा	2004–2009	20	9	3	36	**68**
पंद्रहवीं लोकसभा	2009–2014	20	5	4	24	**53**
सोलहवीं लोकसभा	2014–2019	20	10	0	30	**60**
सत्रहवीं लोकसभा	2019–2024	20	8	1	28	**57**
कुल योग		**113**	**63**	**15**	**171**	**362**

स्रोत: Digital Sansad (16 अक्टूबर 2025 को देखा गया)

यह तालिका संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति द्वारा विभिन्न लोक सभाओं में प्रस्तुत प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। दसवीं से सत्रहवीं लोकसभा तक समिति ने डीएफजी, विषयगत प्रतिवेदन, विधेयक तथा एटीआर के माध्यम से निरंतर कार्य किया है। समय के साथ प्रतिवेदनों की संख्या में वृद्धि समिति की सक्रियता और संसदीय निगरानी भूमिका को दर्शाती है। कुल मिलाकर समिति ने 113 डीएफजी, 63 विषयगत प्रतिवेदन, 15 विधेयक तथा 171 एटीआर सहित 362 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नीतिगत समीक्षा और संसदीय उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

8. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की चुनौतियाँ

साक्षात्कार के आधार पर ये पाया गया कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ नीति-निर्माण, विधायी परीक्षण और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण संस्थान हैं। यद्यपि इन समितियों ने संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक विशेषज्ञतापूर्ण व परिणामोन्मुख बनाने में योगदान दिया है, फिर भी इनके सामने अनेक संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा राजनीतिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:[14]

8.1 सीमित समय और संसाधन: विभागीय संबंधित स्थायी समितियों को अक्सर व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। विशेषज्ञ स्टाफ और तकनीकी अनुसंधान सहायता की कमी के कारण जटिल नीतिगत मुद्दों पर गहन अध्ययन बाधित हो जाता है।

8.2 सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति: समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं। कार्यपालिका कई बार इनका अनुपालन नहीं करती, जिसके -परिणामस्वरूप समितियों के कार्य का प्रभाव सीमित रह जाता है। इससे संसदीय निगरानी

[14] हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद. व्यक्तिगत साक्षात्कार. साक्षात्कारकर्ता: शोधार्थी, अप्रैल– अक्टूबर 2025.

की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

8.3 राजनीतिक हस्तक्षेप और दलगत पूर्वाग्रह: समितियों में विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं, परंतु कभी-कभी दलगत प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक एजेंडा समिति की पेशेवर निष्पक्षता को प्रभावित कर देते हैं। इससे वैचारिक संतुलन और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

8.4 डेटा और सूचना तक सीमित पहुँच: कई बार मंत्रालय समय पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं कराते। अपूर्ण या विलंबित जानकारी समिति की क्षमता को कमजोर कर देती है और निर्णय-प्रक्रिया की गहराई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

8.5 पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता का अभाव: समिति की अधिकांश बैठकों और रिपोर्टों पर सार्वजनिक समीक्षा सीमित होती है। नागरिक समाज, विशेषज्ञों और शोध संस्थानों की सार्थक भागीदारी की कमी से विश्लेषण का दायरा संकुचित हो जाता है।

8.6 विधायी एवं बजटीय परीक्षण की अपर्याप्तता: समितियों को संसद द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और मंत्रालयों के बजट का विस्तृत परीक्षण करना चाहिए, परंतु वास्तविकता में समय-संकट व तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण यह प्रक्रिया अक्सर सतही रह जाती है।

8.7 अनुवर्ती कार्यवाही की कमजोरी: समितियों की रिपोर्ट पर कार्यपालिका की प्रतिक्रिया और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सुदृढ़ तंत्र का अभाव है। इससे समितियों की संस्थागत क्षमता और दीर्घकालिक प्रभाव कम हो जाता है।

9. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों के लिए सुझाव

साक्षात्कार के आधार पर भारतीय संसदीय संस्थान को अधिक उत्तरदायी, सूचनापरक और प्रभावी बनाने हेतु विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नीचे कुछ संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और ज्ञान-आधारित सुझाव प्रस्तुत हैं, जो इन समितियों की समग्र कार्यक्षमता को उन्नत कर सकते हैं:[15]

9.1 स्वतंत्र अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना: समितियों के लिए एक स्वायत्त शोध एवं विश्लेषण इकाई स्थापित की जा सकती है, जो निरंतर डेटा-संग्रह, तुलनात्मक विश्लेषण और नीतिगत अनुसंधान उपलब्ध कराए। इससे समिति के निर्णय अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित हो सकेंगे।

9.2 विशेषज्ञ समूहों के साथ संस्थागत सहयोग: एक स्थायी "विशेषज्ञ पैनल" बनाया जाए जिसमें अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों के विद्वान शामिल हों। नियमित परामर्श समिति के विचार-विमर्श को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

9.3 डिजिटल संसदीय अवसंरचना का विस्तार: समिति कार्यों में डिजिटल टूल, डाटा विज़ुअलाइज़ेशन और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। इससे नीति-सार, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग और इंटरैक्टिव विश्लेषण तेज़ और अधिक दक्ष बन सकेगा।

[15] हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद. व्यक्तिगत साक्षात्कार. साक्षात्कारकर्ता: शोधार्थी, अप्रैल– अक्टूबर 2025.

9.4 समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण: नए एवं मौजूदा सदस्यों के लिए विधायी विश्लेषण, बजट मूल्यांकन, नीति-निर्माण तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय संसदीय प्रथाओं पर *उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण* व्यवस्थित किया जाए। इससे सदस्यों की विशेषज्ञता और तकनीकी समझ बढ़ेगी।

9.5 सार्वजनिक विमर्श तंत्र का विकास: नागरिक समाज, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों और पेशेवर संगठनों से सुझाव लेने के लिए औपचारिक सार्वजनिक परामर्श मंच शुरू किया जा सकता है। इससे निर्णय-प्रक्रिया में सामाजिक विविधता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा।

9.6 वार्षिक कार्य-योजना और समय-प्रबंधन ढाँचा: प्रत्येक समिति को एक विस्तृत वार्षिक कार्य-योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें प्राथमिकताएँ, समीक्षा विषय और अनुमानित समय-सीमा तय हो। यह नियोजित दृष्टिकोण समिति कार्य को अधिक समन्वित और परिणामोन्मुख बना सकता है।

9.7 रिपोर्ट-लेखन और प्रस्तुति में नवाचार: रिपोर्टों में संक्षिप्त नीति-सार, चार्ट, केस-स्टडी और तुलनात्मक मॉडल शामिल किए जाएँ ताकि वे अधिक पठनीय, सुलभ और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी बन सकें। इससे रिपोर्ट का प्रभाव भी बढ़ेगा।

9.8 अंतर-संसदीय संवाद का प्रोत्साहन: अन्य लोकतांत्रिक देशों की संसदीय समितियों के साथ संवाद, अध्ययन-दल यात्राएँ और साझा कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। इससे वैश्विक अनुभवों का आदान–प्रदान होगा और सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई जा सकेंगी।

10. निष्कर्ष

भारतीय लोकतांत्रिक संरचना में विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ एक ऐसे संस्थागत तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसने विधायी प्रक्रिया को अधिक विवेकपूर्ण, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन समितियों ने संसद के कार्यभार को सुव्यवस्थित करने, विधेयकों के गहन परीक्षण को सुनिश्चित करने तथा कार्यपालिका पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन समितियों की उपस्थिति न केवल विशेषज्ञता-आधारित विमर्श को प्रोत्साहित करती है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की बहुलतावादी और सहभागितामूलक प्रकृति को सुदृढ़ करती है। भारत के संदर्भ में यह शोध इंगित करता है कि विभागीय संबंधित स्थायी समितियों ने संसदीय कार्यप्रणाली में तकनीकी दक्षता, तर्कसंगत नीति-विश्लेषण और गहन विमर्श को संस्थागत रूप प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्णय-प्रक्रिया अधिक सूचना-सम्पन्न व साक्ष्य-आधारित हुई है। साथ ही, इन समितियों ने प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी को अधिक प्रभावी बनाकर शासन में उत्तरदायित्व की अवधारणा को व्यापक आयाम दिया है। यद्यपि इन समितियों के समक्ष संसाधन, प्रक्रिया और संरचना से संबंधित विभिन्न सीमाएँ विद्यमान हैं, फिर भी इनके महत्व और प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आती है। यदि संसदीय समर्थन, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान-आधारित सहयोग को सुदृढ़ करते हुए इनके कार्य को और अधिक सशक्त बनाया जाए, तो ये समितियाँ भारतीय लोकतंत्र के गुणात्मक विकास में और भी व्यापक योगदान दे सकती हैं। अंततः, यह निष्कर्ष उभरकर सामने आता है कि विभागीय

संबंधित स्थायी समितियाँ भारतीय संसदीय शासन की लोकतांत्रिक आत्मा का अभिन्न हिस्सा हैं। शासन-व्यवस्था में पारदर्शिता, संवाद और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर वे भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ करती हैं। वर्तमान जटिल नीतिगत और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच इन समितियों का सशक्तीकरण एक अधिक परिपक्व और उत्तरदायी लोकतंत्र की दिशा में अनिवार्य कदम है।